

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- ल

प्रथम अपील संख्या 51/2023

बी0एस0शेखावत, फ्लेट नं0 55, बसन्त विहार, द्वितीय तल, नियर सेन्ट टेरेसा स्कूल, निवारू
मो0न0 9530405064 व 9910417468

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील ।

आदेश

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना अधिनियम के तहत दिनांक 10.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील 51/2023 पर दिनांक 10.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2 दिनांक 10.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/29.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी बी0एस0शेखावत, प्लेट नं0 55, बसन्त विहार, नियर सेन्ट टेरेसा स्कूल, निवारू रोड, जयपुर, मो0न0 9530405064 व 9910417468 सूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना सूचना पत्रांक सू0अ0/2023/94 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी द्वारा पत्रांक रीडर/आर0टी0आई0/29.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी बी0एस0शेखावत, प्लेट नं0 55, बसन्त विहार, नियर सेन्ट टेरेसा स्कूल, निवारू रोड, जयपुर, मो0न0 9530405064 व 9910417468 सूचना अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के पत्रांक सू0अ0/2023/94 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय सज्जद जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस

जिला कलक्टर